न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03 / 2019

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

श्री सुभाष पुत्र श्री फुलाराम गुर्जर निवासी वार्ड नं. 14 ढिल्लो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2 श्री जितेन्द्र सारस्वत अभि. अप्रार्थी।

—ःनिर्णयः—

दिनांकः —27.08.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.04.2019 को गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग की सूचना मिलने पर मुझ बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ द्वारा हमराह श्री शंभुदयाल सहायक उपनिरीक्षक, श्री सेठूराम कास्टेबल नं0 887, नायबसिंह कास्टेबल नं0 504 पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के साथ ढिल्लो कालोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन में गणेश मन्दिर, के पास स्थित सागर टी स्टाल प्र पहुंच कर जांच की गई। मौके पर सागर टी स्टॉल पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को सुभाष पुत्र फुलाराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 14, ढिल्लो कालोनी हनुमानगढ़ जक्शन बताया। उक्त टी स्टॉल की तलाशी लेने पर सुभाष के कब्जे में निम्नलिखित सिलेण्डर आदि मिले। 1. भारत गैस का घरेलू सिलेण्डर भरा हुआ एसआर नं0 50498 2. भारत गैस का घरेलू सिलेण्डर खाली एसआर नं. 374000 3. भारत गैस का घरेलू सिलेण्डर खाली एसआर नं0 002221 4. भारत गैस का घरेलू सिलेण्डर भरा हुआ एसआर नं0 0224945 5. इण्डेन गैस का घरेलू सिलेण्डर आधा भरा हुआ एसआर नं० अपठनीय है। 6. भारत गैस का घरेलू सिलेण्डर भरा हुआ एसआर नं० अपठनीय है। 7. भारत गैस का घरेलू सिलेण्डर भरा हुआ एसआर नं. 012297P 8. इण्डेन गैस का व्यांवसायिक सिलेण्डर खाली एसआर नं० अपठनीय है। 9. एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में तथा पैट्रोमैक्स में गैस ट्रांसफर करने की एक लोहे की बासुरी। पूछताछ करने पर सुभाष ने बताया कि वह सागर टी स्टॉल का मालिक है, चाय बनाकर बेचता है, चाय की राशि प्राप्त करता है तथा दूसरों को सिलेण्डर बेचता है। पूछताछ करने पर बताया कि गैस सिलेण्डर रखने का कोई अनुज्ञापत्र / परमिट उसके पास नहीं है। इस प्रकार गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करने, गैस सिलेण्डरों की बिक्री करने तथा अवैध रिफिलिंग करने के कारण मुझ द्वारा बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित गैस सिलेण्डर तथा बांसुरी वजह सबूत जब्त की गई। उक्त जब्त शुदा गैस सिलेण्डरों को कुलडिया भारत गैस एजेन्सी, हनुमानगढ जंक्शन के लेखाकार श्री लखविन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरचरणसिंह जाति सिक्ख निवासी जोड़किया की सुपुर्दगी में दिये गये तथा सुपुर्दगीनामा अलग से लिखवाया गया। इस प्रकार श्री सुभाष पुत्र श्री फूलाराम जाति गुर्जर द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण, बिकी तथा रिफिलिंग का कार्य करना पाया गया। जो

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

कि द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के क्लॉज 4 (1) (क), क्लॉज 6 तथा क्लॉज 7 (1) (ख) (ग) का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। गैस सिलेण्डर ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामान को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किये कि अप्रार्थी अपने आस–पास के परिचित घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर भरवाकर देता था जिसके बदले सुविधानुसार सुविधा शुल्क प्राप्त कर लेता था। अप्रार्थी द्वारा कालाबाजारी एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु इन घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं करता था। अतः अप्रार्थी के जब्तशुदा घरेलू गैस सिलैण्डर प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा आप्रार्थी से मौके पर भारत गैस कम्पनी के 6 व इण्डैन गैस का 01 कुल 7 घरेलू गैस सिलेण्डर व इण्डैन गैस का 1 सिलेण्डर व्यवसायिक जब्त किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के क्लॉज 4 (1) (क), क्लॉज 6 तथा क्लॉज 7 (1) (ख) (ग) का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर व 1 व्यवसायिक को राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डैन गैस व भारत गैस कम्पनी के 07 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के क्लॉज 4 (1) (क), क्लॉज 6 तथा क्लॉज 7 (1) (ख) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा भारत गैस कम्पनी के 6 व इण्डैन गैस कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर के साथ 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़